



संक्षिप्त खबर

भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश

नई दिल्ली, 12 मार्च 2024(ए)। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का एक राफाल हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हवाई जैसलमेर के जवाहर नगर में हुआ। हालांकि, इस हादसे में पायलट सुरक्षित बचने में कामयाब रहा। पायलट ने सही समय पर खुद को प्लेन से इजेक्ट कर लिया। क्रैश होने वाला भारतीय सेना का एक राफाल हेलीकॉप्टर था। एयरक्राफ्ट हादसे के वक्त ऑपरेशनल ट्रैनिंग पर था। हादसे के बाद सेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है।

एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा

ईडी 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा...
सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेटाइन दी थी...



नई दिल्ली, 12 मार्च 2024(ए)। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5.30 बजे सौंप दिया। बार एंड बेंच ने एक्स पर ये जानकारी दी। चुनाव आयोग इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा।

सिजेआई ने एसबीआई से पूछा था- 26 दिनों में आपने क्या किया? इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर सोमवार (11 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। एसबीआई ने कोर्ट लिखी है। इसमें कहा कि सरकार राष्ट्रपति के जरिए कानूनी राय हासिल करे और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हो।

सिजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- पिछली दिनों में आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा- एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिजो की रिपोर्ट पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के

2 याचिकाएं और दोनों पक्षों की सुप्रीम कोर्ट में दलील

एसबीआई की अपील - जानकारी जुटाने के लिए और वक्त चाहिए- कोर्ट ने सीबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देने का निर्देश दिया था। लेकिन 4 मार्च को ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिसमें कहा कि राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। एसबीआई ने कहा कि उन्हें डिटेल्ड निकालने के लिए और समय चाहिए।

एडीआर की आपत्ति - एसबीआई के पास बॉन्ड का यूनिफ़ॉर्म नंबर, फिर देर क्यों- एडीआर ने 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। एडीआर ने कहा कि एसबीआई का मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। एसबीआई का आईटी सिस्टम इसे आसानी से मैनेज कर सकता है। हर बॉन्ड में एक यूनिफ़ॉर्म नंबर होता है। इसके जरिए रिपोर्ट तैयार कर इलेक्शन कमीशन को दी जा सकती है।

लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस को उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी

43 उम्मीदवारों के नाम का एलान

नई दिल्ली, 12 मार्च 2024(ए)। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसमें चार राज्यों के 43 उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस सूची पर मुहर लगाई गई। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य सदस्य शामिल हुए थे। इससे पहले सीईसी की पहली बैठक सात मार्च को हुई थी और आठ मार्च को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों का एलान हुआ था। कांग्रेस महासचिव केशी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। नकुल नाथ मध्य



प्रदेश के छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। राहुल कासवा राजस्थान के चुरू से चुनाव लड़ेंगे। वैभव गहलोट जालौर से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सीईसी की पहली बैठक सात मार्च को हुई थी और आठ मार्च को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों का एलान हुआ था।

कमलनाथ और अशोक गहलोट के बेटे को मिला टिकट

निर्वाचन आयोग कभी भी आगामी आम चुनावों की तारीखों का एलान कर सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब कांग्रेस ने अपने लोकसभा कांग्रेस ने इस लिस्ट में 7 जनरल, 13 ओबीसी, 10 एससी, 9 एसटी और एक मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया है तो बीजेपी के कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कर्खा को चुरू लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा इस लिस्ट में जोरहाट से गौरव गोगोई, सिलचर से सुरज्या खान, जालौर से अशोक गहलोट के बेटे वैभव गहलोट को अपना प्रत्याशी बनाया है।

नायब सैनी ने ली हरियाणा सीएम पद की शपथ



हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने

चंडीगढ़, 12 मार्च 2024 (ए)। हरियाणा की सियासत में मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ। नायब सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस शपथ समारोह में दिलचस्प यह है कि दुर्घट चोटाला की पार्टी के चार विधायक मौजूद रहे। यह चोटाला के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ सुबे के अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली।

मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हरियाणा की सियासत में मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। निर्दलीय विधायक बीजेपी के समर्थन में आगे आए हैं। इसके साथ ही बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटना तय है।

कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुए मतभेदों की वजह से ये गठबंधन टूट रहा है।

खट्टर के बाद हिमंत विश्व सरमा ने कही इस्तीफा देने की बात

हिमंत विश्व सरमा ने इस्तीफा की बात मचा बवाल
हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हिमंत विश्व सरमा ने इस्तीफा देने की बात कहकर तहलका मचा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि अगर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

यूपी के 5 नए मंत्रियों को मिला विभाग

लखनऊ, 12 मार्च 2024 (ए)। उत्तर प्रदेश में नए मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। जिसमें दारा सिंह को कारागार विभाग, ओपी राजभर को पंचायती राज एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग, अनिल कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। योगी सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का मंगलवार को बंटवारा कर दिया गया। नए मंत्रियों में ओमप्रकाश राजभर को पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, हज व मुस्लिम वक्फ विभाग का जिम्मा



प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का दायित्व सौंपा गया है। अनिल कुमार प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। वहीं योगी मंत्रिमंडल के

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति अब नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री बनेंगे रहेंगे। बता दें कि पांच मार्च को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसमें ओमप्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा व अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया है। बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली थी।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा सीए पर रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली, 12 मार्च 2024 (ए)। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीए) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में, आयुएमएल ने कहा कि नागरिकता संशोधन नियम, 2024 मनमाने हैं और केवल धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि

सीए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 250 याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं और यदि सीए को असंवैधानिक माना जाता है, तो एक असाмаय्य स्थिति उत्पन्न होगी। जिन लोगों को लागू अधिनियम और नियमों के तहत नागरिकता मिल गई होगी, उनकी नागरिकता छीनी होगी। इसलिए, सीए और लागू नियमों के कार्यान्वयन को तब तक के लिए स्थगित करना, प्रत्येक व्यक्तिक को सर्वोत्तम हित में है, जब तक कि न्यायालय मामले का फैसला नहीं कर देता।

खड़गे को लेकर कांग्रेस पार्टी में बढ़ी टेंशन

कांग्रेस पार्टी में बड़ी टेंशन

नई दिल्ली, 12 मार्च 2024 (ए)। लोकसभा चुनाव के लेकर कांग्रेस के खड़े से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस साल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसी खबरों के आने से कांग्रेसी खेमों में टेंशन बढ़ चली है। दरअसल, पिछले हफ्ते कर्नाटक के प्रत्याशियों की सूची को लेकर हुई बैठक में सभी ने गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र से खरेगे के नाम पर सहमति जताई है लेकिन सूत्रों से जानकारी आ रही है कि वो इस सीट से अपने दामाद राधाकृष्णन डोड्डामणि को उतार सकते हैं।



मल्लिकार्जुन खड़गे गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार जीते थे लेकिन 2019 में वह हार गए थे। तब से वह राज्यसभा में हैं, जहां वह विपक्ष के नेता हैं और उच्च सदन में उनके चार साल और बचे हैं। मल्लिकार्जुन खरेगे के बेटे प्रियांका खरेगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। खबरों की मानें तो वह भी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। खरेगे का कहना है कि वह फिलहाल पूरे देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी



किसी वया दी गयी जिम्मेदारी
रायपुर, 12 मार्च 2024(ए)। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है। इसमें एक जिले के कलेक्टर को बदला गया है। आईएएस अमृत विकास तोपनो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का कार्यभार ग्रहण करने पर निहारिका बारिक भाप्रसे (1997) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त, मनरेगा केवल आयुक्त, मनरेगा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। आईएएस कुलदीप शर्मा भाप्रसे (2014) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन का केवल आयुक्त, मनरेगा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। आईएएस कुलदीप शर्मा भाप्रसे (2014) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अमृत विकास तोपनो भाप्रसे (2014),

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत कलेक्टर, जिला-सर्की के पद पर पदस्थ किया गया है। नूपुर राशि पन्ना, भाप्रसे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठ एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है। वहीं नम्रता जैन, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ किया गया है।

काला जठेड़ी और लेडी डॉन:अनुराधा चौधरी की हुई शादी

सुरक्षा के लिए पुलिस अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिखाई

नई दिल्ली, 12 मार्च 2024 (ए)। गैंगस्टर काला जठेड़ी और विवालय रानी के नाम से कुख्यात अनुराधा चौधरी की शादी हो गई है। गैंगस्टर संग लेडी डॉन की यह शादी बेहद ही कड़ी सुरक्षा के बीच हुई है। शादी के दौरान मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी सुख लाल जोड़े में नजर आईं। वहीं काला जठेड़ी ने कुर्ता-पायजामा पहन रखा था। गैंगस्टर काला जठेड़ी के सिर पर लाल पगड़ी भी नजर आई। लेडी डॉन संग गैंगस्टर की शादी के दौरान काफी कुछ खास रहा। शादी में पुलिस ने डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डीजे वालों को पुलिस टीम ने विवाह स्थल पर जाने ही नहीं दिया और उन्हें बाहर ही रोक लिया गया। इस शादी को लेकर राष्ट्रीय राजधानी

दिल्ली के झरका इलाके में सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और हिस्ट्रीशीटर अनुराधा चौधरी की शादी के दौरान पूरा इलाका पुलिस से घेरा हुआ था। शादी के दौरान पुलिस ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा बलों की व्यवस्था की। शादी के दौरान पुलिस ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा बलों की व्यवस्था की। शादी के दौरान पुलिस ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा बलों की व्यवस्था की।

की तैनाती थी। यहां आने के बाद उसने कुछ वक्त तक अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ बातचीत की और फिर दोनों सीधे शादी के मंडप में पहुंचे थे। यहां काला जठेड़ी ने लेडी डॉन को सिंदूर भी लगाया। सूत्रों के मुताबिक, एसडब्ल्यूएटी दिल्ली पुलिस की टीम, थर्ड बटालियन, स्पेशल स्टाफ और करीब 150-

200 पुलिसवालों की टीम विवाह स्थल पर तैनात की गई थी। यह विवाह झरका के एक बैकवेट हॉल में संपन्न हुआ है। पुलिस ने शादी में आने वाले सभी लोगों की सूची तैयार की है। शादी के दौरान पुलिस ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा बलों की व्यवस्था की। शादी के दौरान पुलिस ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा बलों की व्यवस्था की।

अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज खुद स्कॉर्पियो चलाकर दिल्ली पहुंची थी। इस शादी में अनुराधा के परिवार से जुड़े कुछ लोग भी मौजूद थे। बता दें कि काला जठेड़ी कई गंभीर अपराधों में जेल में बंद हैं। उसपर मकका भी लगाया गया है। काला जठेड़ी पर क्राइम सिंडिकेट चलाने का इल्जाम था। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी दोनों को ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। अनुराधा काला जठेड़ी गैंग की ही सदस्य हैं। वो मारे गए एक अन्य गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की करीबी रही हैं। अनुराधा चौधरी पर संतरी, किडनीपिंग, हत्या समेत कई अन्य केस राजस्थान और दिल्ली में दर्ज हैं। अनुराधा चौधरी इस वक्त जमानत पर हैं।

घटती-घटना खबर का बड़ा असर...

भूमि गबन मामले में नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, आरआई राहुल सिंह, नारायण सिंह सहित बाबू अजय तिवारी के विरुद्ध हुआ एफआईआर दर्ज

दैनिक घटती-घटना खबर पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान और मामला पहुंचा एफआईआर तक

- » कलेक्टर सरगुजा ने मामले में अनावेदक बंसू सहित 8 अनावेदकों को किया तलब...
- » अंबिकापुर राजमोहिनी के पीछे की नजूल भूमि के गबन मामले कलेक्टर ने की थी एफआईआर की अनुशांसा
- » बेस कीमती राजमोहिनी के पीछे की नजूल भूमि गबन मामले की जांच हुई पूरी...
- » जमीन गबन मामले में एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी निर्माई अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक ने...
- » जमीन गबन मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले दस्तावेज की कमियों को किया गया पूरा...
- » इस मामले की जांच कलेक्टर सरगुजा ने निष्पक्ष कर पेश की मिसाल... जिससे एफआईआर दर्ज हो गई... जो अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही...



शासकीय जमीन निजी हाथों में देने के मामले में राजस्व कर्मचारी व अधिकारी पर अपराध दर्ज

अंबिकापुर शहर की बेश कीमती राज मोहिनी भवन के पीछे की शासकीय जमीन को अधिकारी कर्मचारियों के मिलीभगत से निजी हाथों में दे दिया गया था. इतने बड़े फर्जी वाले मामले में दैनिक घटती-घटना के खबर प्रकाशन के बाद मामला उजागर हुआ और अधिकारी सहित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, अभी तक कई जमीन फर्जीवाडा मामला आया होगा पर अभी तक कर्मचारी व अधिकारी बच निकलते थे, पहली बार निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही की गई जिसमें अधिकारी व कर्मचारियों पर भी अपराध दर्ज किया गया, ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि स्वच्छ छ्भी वाले सरगुजा कलेक्टर भोरकर बिलास संदीपन ने इतनी बड़ी कार्यवाही करने की हिम्मत दिखाई और अपना स्वच्छ छवि लोगों के सामने रखा... सरगुजा कलेक्टर की यह कार्रवाई ने आने वाले समय के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को बहुत बड़ी सीख दे दी है।



-भूपेन्द्र सिंह -
अंबिकापुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)।
सत्ता परिवर्तन के बाद ही सही पर शहर के राजमोहिनी भवन के पीछे स्थित वेशकीमती शासकीय भूमि के क्षति मामले में आज तात्कालीन नजूल अधिकारी, दो आरआई और जिला नजूल कार्यालय में पदस्थ बाबू पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार जांच में अभी और एक दर्जन से ज्यादा नाम जुड़ने की संभावना है। उक्त मामले में कलेक्टर सरगुजा ने अनावेदक बंसू सहित 8 अनावेदकों को कलेक्टर न्यायालय में 14 मार्च को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। इतनी बड़ी कार्यवाही दैनिक घटती घटना खबर का असर है लगातार खबर प्रकाशन के बाद अंततः मामला कार्यवाही तक पहुंचा अब तक की यह सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार राजमोहिनी देवी भवन के पीछे स्थित लगभग सवा 4 एकड़ गोचर मद की भूमि को राजस्व के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भूमाफियों से सांठगांठ कर बंसू आ.भटकुल के नाम दर्ज करा कौड़ियों के दाम पर बेचे जाने के मामले में प्रशासन के बाद अब पुलिस ने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। कल देर रात प्रशासन ने तात्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो (वर्तमान में कोंडगांव जिले में संयुक्त कलेक्टर), राहुल सिंह आरआई, नारायण सिंह आरआई एवं नजूल कार्यालय का बाबू अजय तिवारी के विरुद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। गांधीनगर पुलिस ने मामले में धारा 467, 468, 420, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले में जांच के दौरान फर्जीवाड़े में अभी और आरोपियों के नाम शामिल होने की संभावना है।
विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसू के नाम हुई भूमि
उल्लेखनीय है कि तहसीलदार (नजूल) अंबिकापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार नमनाकला, अंबिकापुर स्थित शासकीय नजूल भू-खण्ड क्रमांक 243/1 रकबा 1.710 हे. (4.22 एकड़) भूमि सरगुजा सेटलमेंट में गोचर मद की भूमि है, जिसे

दैनिक घटती-घटना खबर के बाद राजमोहिनी शासकीय भूमि क्षति मामले में सरगुजा कलेक्टर ने अनावेदक बंसू सहित 8 अनावेदकों को किया तलब



शासकीय भूमि क्षति के मामले में हो सकती है बड़ी कार्यवाही, कलेक्टर सरगुजा ने मामले में अनावेदक बंसू सहित 8 अनावेदकों को किया तलब
वया अनावेदक सही दस्तावेज के साथ अपना पक्ष रख पाएँ...या मामले को खींचने का यह है नयाब तरीका ?

अंबिकापुर, 11 मार्च 2024 (घटती-घटना)।
अंबिकापुर शहर की बेश कीमती राजमोहिनी भवन के पीछे की शासकीय भूमि के क्षति मामले में आज तात्कालीन नजूल अधिकारी, दो आरआई और जिला नजूल कार्यालय में पदस्थ बाबू पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार जांच में अभी और एक दर्जन से ज्यादा नाम जुड़ने की संभावना है। उक्त मामले में कलेक्टर सरगुजा ने अनावेदक बंसू सहित 8 अनावेदकों को कलेक्टर न्यायालय में 14 मार्च को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। इतनी बड़ी कार्यवाही दैनिक घटती घटना खबर का असर है लगातार खबर प्रकाशन के बाद अंततः मामला कार्यवाही तक पहुंचा अब तक की यह सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार राजमोहिनी देवी भवन के पीछे स्थित लगभग सवा 4 एकड़ गोचर मद की भूमि को राजस्व के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भूमाफियों से सांठगांठ कर बंसू आ.भटकुल के नाम दर्ज करा कौड़ियों के दाम पर बेचे जाने के मामले में प्रशासन के बाद अब पुलिस ने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। कल देर रात प्रशासन ने तात्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो (वर्तमान में कोंडगांव जिले में संयुक्त कलेक्टर), राहुल सिंह आरआई, नारायण सिंह आरआई एवं नजूल कार्यालय का बाबू अजय तिवारी के विरुद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। गांधीनगर पुलिस ने मामले में धारा 467, 468, 420, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले में जांच के दौरान फर्जीवाड़े में अभी और आरोपियों के नाम शामिल होने की संभावना है।
विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसू के नाम हुई भूमि
उल्लेखनीय है कि तहसीलदार (नजूल) अंबिकापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार नमनाकला, अंबिकापुर स्थित शासकीय नजूल भू-खण्ड क्रमांक 243/1 रकबा 1.710 हे. (4.22 एकड़) भूमि सरगुजा सेटलमेंट में गोचर मद की भूमि है, जिसे



अनियमित पट्टा और विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसू द्वारा अपने नाम पर कराते हुये उक्त शासकीय नजूल भूमि में से कई व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है। जिसमें अनावेदक सतीश शर्मा, सन्मोहर वारियर, अभिषेक नागदेव, शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार शामिल हैं। इससे शासन को शासकीय भूमि की क्षति हुई है।
वया है बंसू लोहार आत्मज भुटकुल का पूरा मामला...
आवेदक कमल सिंह की मांने तो नगर अंबिकापुर में राज मोहिनी भवन के पास मोहल्ला नमना कला अंबिकापुर में खसरा नंबर 243 स्थित है, उक्त भूमि पूर्व में 111.40 एकड़ भूमि थी। जो कालांतर में शासकीय प्रयोगों के लिए उपयोग में लाई गई और कुछ भूमि पर शासन के द्वारा पट्टा प्रदान किया गया तथा इसी से संबंधित भूमि पर व्यवहारवाद क्रमांक 41-ए-90 निर्णय दिनांक 23.09.1991 विचाराधीन था जिस पर निर्णय पारित किया गया है और वर्तमान में



तात्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो तथा नजूल अधिकारी के लिपिक अजय तिवारी एवं हल्का पटवारी गणेश मिश्रा व राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह द्वारा मिलकर शासन की 60 करोड़ रुपये की भूमि का 04 करोड़ रुपये में मिलकर भू-माफियाओं से अवैध धन की उगाही कर भ्रष्टाचार कर नियम विरुद्ध शासकीय भूमि को बंसू आ0 भुटकुल के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 06.10.2022 को पारित करवा कर उक्त भूमि को अवैध प्लॉटिंग कर 15-15 लाख रुपये प्रति डिस्मिल से विक्रय किया जा रहा था। यह बहुत बड़े भू-माफियाओं से मिलकर किया गया भूमि चोटाला माना जा रहा है। जिसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायहित में जनहित के लिए आवश्यक बताया गया है।
कई और नाम शामिल होंगे एफआईआर में
राजमोहिनी भवन शासकीय भूमि के फर्जीवाड़े मामले में अभी तक चार नाम के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ बाकी अभी अन्य में है सूत्रों का कहना है कि अभी कई ऐसे नाम आएँगे जिनका नाम भी इस अपराध में जुड़ेगा और उन पर भी इन दिनांक 15.04.1968 के माध्यम से मोहल्ला नमना कला नगर अंबिकापुर में स्थित नजूल भूमि भू खण्ड क्रमांक खसरा नंबर 154, 243/10 रकबा क्रमांक: 0.934, 1.710 भूमि का पट्टा तहसीलदार अंबिकापुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1967-68 आदेश

धाराओं के तहत बड़ी कार्यवाही होगी, बहुत जल्द वह नाम भी इसमें शामिल होंगे जिसका खुलासा किया जाएगा।
वया एफआईआर के बाद अधिकारी व कर्मचारी होंगे बर्खास्त ?
जिस नजूल अधिकारी आरआई सहित बाबू पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी, ऐसा करने से बाकी अधिकारी कर्मचारी भी घबराएँगे, यह कार्यवाही कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मील का पथर साबित होगा।
अपराध दर्ज करने के बाद पूरे दिन कलेक्टर कार्यालय में दस्तावेज खंगालते रही पुलिस
अपराध दर्ज होने के बाद कलेक्टर कार्यालय में कोतवाली पुलिस मामले के दस्तावेज को खंगालती रही और जांच में जुटी रही ताकि जमीन फर्जीवाड़े वाले मामले में जिन-जिन लोगों की सलिता है सभी पर अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा सके।

राष्ट्रपति जरदारी और गृहमंत्री नकवी ने किया वेतन छोड़ने का एलान, देश की आर्थिक तंगी का दिया हवाला

इस्लामाबाद, 12 मार्च 2024। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान वेतन नहीं लेंगे। नव नियुक्त राष्ट्रपति ने अपने इस निर्णय के पीछे देश की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। जरदारी ने कहा कि उनका ये निर्णय नकदी संकट से जुड़े देश को आर्थिक कठिनाई का सामना करने में मदद करने की कोशिश है। उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रपति सचिवालय ने भी एक प्रेस विज्ञापन जारी कर इस बारे में जानकारी साझा की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खजाने पर बोझ नहीं डालने के लिए अपना वेतन छोड़ दिया है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को प्रति माह



8,46,550 रुपये मिलते थे, जो 2018 में संसद द्वारा तय किया गया था।

देश के अमीर राजनेताओं में शामिल हैं जरदारी

गौरतलब है कि जरदारी पाकिस्तान के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने रविवार को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। पाकिस्तान के मुख्य

न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने इस्लामाबाद में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जरदारी को पद की शपथ दिलाई। सैन्य शासकों को छोड़कर जरदारी दूसरी बार राष्ट्र प्रमुख का पदभार संभालने वाले पाकिस्तान के पहले नेता बन गए हैं। इससे पहले वह 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाल चुके हैं।

मोहसिन नकवी ने भी वेतन छोड़ने का किया एलान

उनके अलावा, पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने भी अपना वेतन छोड़ने का फैसला किया है। नकवी ने भी इसके पीछे देश के सामने चल रही आर्थिक चुनौतियों का हवाला दिया। एक्स पर एक पोस्ट में नकवी ने कहा कि संकट के इस समय में हर संभव तरीके से देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।



छह साल बाद ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटे नवाज के बेटे, पनामा पेपर मामले में जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट

इस्लामाबाद, 12 मार्च 2024। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दोनों बेटे छह साल के आत्म-निर्वासन के बाद मंगलवार को लंदन से अपने देश लौट आए। हसन नवाज और हुसैन नवाज का नाम 2016 में पनामा पेपर घाटले में आया था। जिसके बाद दोनों ने 2018 में देश छोड़ दिया था। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जिसे एक जवाबदेही अदालत ने हाल ही में रद्द कर दिया।

जवाबदेही अदालत ने 2018 में एवेनफील्ड मामले में दोनों को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। एवेनफील्ड मामले में नवाज शरीफ परिवार के स्वामित्व और लंदन में लम्बजी अपार्टमेंट के अधिग्रहण से जुड़ा है।

सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी ने एक बयान में कहा, नवाज के बेटे मंगलवार को लंदन से यहां पहुंचे। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर के उनके जाती उमरा आवास पर ले जाया गया।

पायल व नगदी चोरी करने वाले आरोपी को थाना रामानुजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

— संवाददाता —

सूरजपुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। ग्राम कैलाशपुर रामानुजपुर निवासी बेचुराम साहू ने थाना रामानुजपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाया कि 7 मार्च को गांव में शादी था जहां पूरे परिवार सहित गया था वापस घर आया तो देखा कि आलमारी खुला था जिसमें रखा पायल, बिड़िया व नगदी रकम वहां नहीं था कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना 457, 380 भादसं. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।



थाना रामानुजपुर पुलिस चोर की पतासाजी करने के दौरान मुखबरी की सूचना पर निलेश देवांगन उर्फ नान दाड पिता धीरेंद्र देवांगन उम्र 19 वर्ष ग्राम कैलाशपुर, थाना रामानुजपुर को पकड़। पकड़ा पर उसने बेचुराम के यहाँ चोरी करना स्वीकार कर बताया कि नगदी रकम को खाने-पीने में खर्च कर दिया है। आरोपी के निशानदेही पर एक जोड़ी बिड़िया, 1 जोड़ी पायल कीमत 6300 रुपये का जास कर आरोपी निलेश देवांगन को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजपुर प्रकाश राठौर, एसआई मनोज पौते, बिसुनदेव पैकरा, प्रधान आरक्षक हंसराम कर्नाडिया, आरक्षक विनोद दास, कौशलेंद्र सिंह व रूपदेव सिंह सक्रिय रहे।

सड़क हादसे में घायल युवक की मौत

— संवाददाता —

अम्बिकापुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। बैकुंठपुर के डीहईपारा में 11 मार्च की रात को दो बाइकों की आमने-सामने धिड़ंग में एक युवक गंभीर रूप से जखमी हो गया था। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजू यादव पिता शिवकुमार यादव उम्र 34 वर्ष जनकपुर थाना बैकुंठपुर का रहने वाला था। वह 11 मार्च की रात को बाइक से कहीं जा रहा था। तभी डीहईपारा बचरापौड़ी के पास एक अन्य बाइक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में राजू गंभीर रूप से जखमी हो गया था। परिजन उसे इलाज के लिए बैकुंठपुर अस्पताल में भर्ती कर दिया था। यहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

संयुक्त संचालक शिक्षा हेमंत उपाध्याय का तबादला, संजय गुप्ता को मिली जिम्मेदारी

— संवाददाता —



अम्बिकापुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। संयुक्त संचालक सरगुजा शिक्षा विभाग हेमंत उपाध्याय का तबादला

शराब के नशे में धुत नाती ने दादी को डंडे से की पिटाई, सिर में चोट लगने से हुई मौत

— संवाददाता —

अम्बिकापुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। 24 वर्ष ग्राम करी थाना दरिमा का रहने वाला है। वह 10 मार्च की शाम को गांव से शराब पीकर घर आया और घर वालों के

मोदी संवाद सम्मेलन में रायपुर मे चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर योगदान कार्य करने वाले लखनपुर के डॉ.सलमान खान को सम्मानित किया गया



— संवाददाता —

लखनपुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। रायपुर किंग्सवै होटल रविवार 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी के मोदी के संवाद सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन सिंह, भाजपा प्रवक्ता संजय



यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 81 वाहन चालकों से वसूले गए 53 हजार समन शुल्क

— संवाददाता —

अम्बिकापुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगाकार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार की शाम को यातायात पुलिस द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वाले 32 लोगों से 9 हजार 6 सौ रूपए व बाइक में तीन सवारी चलने वाले 15 लोगों से 7 हजार 5 सौ रूपए, मॉडिफाइड साइलेंसर के 1 मामले में 5 हजार रूपए व भारी वाहनों के अवैध पार्किंग के मामले में 6 लोगों से 4 हजार 350 रूपए समन शुल्क की वसूली की गई है। 81 वाहन चालकों से कुल 53 हजार 50 रूपए समन शुल्क वसूले गए हैं। सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रतिदिन कार्यवाही की जायगी, सरगुजा पुलिस आमनागरिकों से अपील करती है कि यातायात के नियमों का पालन करे स्वयं सुरक्षित रहे एवं अन्य राहगीरों को भी सुरक्षित रखे।

विचाराधीन बंदी की इलाज के दौरान मौत

— संवाददाता —

अम्बिकापुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। हत्या के मामले में रामानुजपुर जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। तबियत बिगड़ने पर उसे केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोहर साय पिता फिरन राम उम्र 55 वर्ष बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम सिखिलदाग का रहने वाला था। वह हत्या के मामले में रामानुजपुर जेल में विचाराधीन बंदी था। 11 मार्च को उसकी तबियत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए रामानुजपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया था। रामानुजपुर जेल प्रशासन ने उसे पहले केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर भेजा। इसके बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई।

लखनपुर के 10927 किसानों को 56.02 करोड़ राशि का मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में किया अंतरण

— संवाददाता —

लखनपुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। 12 मार्च दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि उन्नति योजना खरीफ के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 72000 से अधिक किसानों को 13320 करोड़ रूपए आदान सहायता राशि का किसानों के बैंक खातों में अंतरण किया। तो वहीं लखनपुर विकासखंड के 10927 किसानों के 6 लाख 11199.20 करोड़ धान 133.42 करोड़ रूपए का धान बिक्री किया है। जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि

डाइट में प्रशिक्षण लेने आई शिक्षिका की 4 वर्षीय बेटी पानी की टंकी में गिरी, डूबकर मौत

— संवाददाता —

अम्बिकापुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। शहर के बनारस मार्ग पर स्थित डाइट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) में संध्या के प्राइमरी स्कूल के प्रधानपाठकों व शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता और संचालक (एफएएलएन) पर आधारित 3 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। मंगलवार को प्रशिक्षण शामिल होने आई एक शिक्षिका अपनी 4 वर्षीय मासूम बेटी को भी लाई थीं। महिला प्रशिक्षण में व्यस्त थीं, जबकि बेटी इधर-उधर खेल रही थी। इसी बीच बेटी डाइट परिसर में ही स्थित पानी से भरी टंकी में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। शिक्षिका ने जब उसे खोजना शुरू किया तो वह टंकी में मिली। बेटी को इस हाल में देख वह बेसुध हो गई और उसके रोने का ठिकाना नहीं रहा। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अम्बिकापुर के डाइट में शिक्षकों का 3 दिवसीय एफएएलएन का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण 11 मार्च से 13 मार्च तक होना है।

लखनपुर के 10927 किसानों को 56.02 करोड़ राशि का मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में किया अंतरण

— संवाददाता —

लखनपुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। 12 मार्च दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि उन्नति योजना खरीफ के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 72000 से अधिक किसानों को 13320 करोड़ रूपए आदान सहायता राशि का किसानों के बैंक खातों में अंतरण किया। तो वहीं लखनपुर विकासखंड के 10927 किसानों के 6 लाख 11199.20 करोड़ धान 133.42 करोड़ रूपए का धान बिक्री किया है। जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि

डाइट में प्रशिक्षण लेने आई शिक्षिका की 4 वर्षीय बेटी पानी की टंकी में गिरी, डूबकर मौत

— संवाददाता —

अम्बिकापुर, 12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। शहर के बनारस मार्ग पर स्थित डाइट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) में संध्या के प्राइमरी स्कूल के प्रधानपाठकों व शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता और संचालक (एफएएलएन) पर आधारित 3 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। मंगलवार को प्रशिक्षण शामिल होने आई एक शिक्षिका अपनी 4 वर्षीय मासूम बेटी को भी लाई थीं। महिला प्रशिक्षण में व्यस्त थीं, जबकि बेटी इधर-उधर खेल रही थी। इसी बीच बेटी डाइट परिसर में ही स्थित पानी से भरी टंकी में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। शिक्षिका ने जब उसे खोजना शुरू किया तो वह टंकी में मिली। बेटी को इस हाल में देख वह बेसुध हो गई और उसके रोने का ठिकाना नहीं रहा। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अम्बिकापुर के डाइट में शिक्षकों का 3 दिवसीय एफएएलएन का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण 11 मार्च से 13 मार्च तक होना है।



क्या 8 साल पूर्व कोटवली बैकुण्ठपुर में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध बिना नाम दर्ज एफआईआर मामले में बिना पुलिसकर्मियों के नाम के ही चालान हुआ पेश ?



माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नामजद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और 8 साल बाद बिना पुलिसकर्मियों नाम के ही चालान पेश हो गया: सूत्र

क्या उच्च अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए 8 साल का लंबा इंतजार किया और बिना कर्मचारियों के नाम के ही चालान पेश किया ?

पीड़ित को परेशान करने वाले भी पुलिसकर्मी और परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों की जांच का जिम्मा संभालने वाली भी पुलिस...क्या इसी वजह से पीड़ित को मिलने वाले न्याय के बीच जांच अधिकारी बने बाधा और पुलिसकर्मियों को बचाया ?

न्याय की लड़ाई लड़ने वाली भी दुनिया छोड़ गई न्याय की उम्मीद में लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद क्या न्याय उसको तब तक मिलना नहीं था जायज ?

न्यायालय आदेश के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी व प्रधान आरक्षक के विरुद्ध मामला हुआ था पंजीबद्ध पर नाम को छिपाकर हुआ था मामला दर्ज

मामला पंजीबद्ध होने के बाद बिना जमानत व विभागीय जांच के पुलिसकर्मी आज भी कैसे डटे हैं नौकरी में ?

जहां एफआईआर दर्ज होते ही नौकरी से पृथक होना था पर प्रभाव में आज भी काट रहे नौकरी का मज्जा

आमजनों पर मामला पंजीबद्ध करना पुलिस के लिए आसान पर पुलिस पर मामला पंजीबद्ध करें कौन ?

8 साल बाद भी आरोपी पुलिसकर्मियों का चालान पेश न होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है ?

—रवि सिंह—
बैकुण्ठपुर, 12 मार्च 2024
(घटती-घटना)।
8 साल पहले कोरिया जिले के कुछ पुलिसकर्मियों के ऊपर जबनर बिना किसी आदेश के अतिक्रमण घटाने को लेकर शिकायत हुई थी पर शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके बाद प्रार्थना ने उच्च न्यायालय से गृह्यार लगाई थी जिसके बाद उच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश के दबाव में एफआईआर तो दर्ज किया पर पुलिसकर्मियों का नाम नहीं लिखा, जबकि आदेश में नामजद एफआईआर दर्ज करना था पर ऐसा हुआ नहीं। अब जब सरकार बदल गई है तब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही होगी और उनके ऊपर विभागीय जांच सहित इन्हें पद से पृथक किया जाएगा? यह सवाल बना हुआ था पर जैसे ही सत्ता बदली इस



मामले की जांच अधिकारी ने अपने विभाग के पुलिसकर्मियों के बचाव करते हुए बिना धारा पर ऐसा हुआ नहीं। अब जब सरकार बदल गई है तब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही होगी और उनके ऊपर विभागीय जांच सहित इन्हें पद से पृथक किया जाएगा? यह सवाल बना हुआ था पर जैसे ही सत्ता बदली इस

जाते-जाते इन पुलिसकर्मियों को राहत की सांस लेने का मौका दे दिया पर वहीं पीड़ित के न्याय लिए किसी ने नहीं सोचा जिसकी झोपड़ी तोड़ने यह पुलिसकर्मियों किसी के कहने पर बिना आदेश के पहुंच गए थे और उस गरीब को खूब सताया था वह वृद्ध गरीब महिला न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और इस बीच उसका निधन भी हो गया पर ऐसा लगा कि उसके निधन के बाद ही शायद उसके न्याय मिल जाए पर ऐसा होता नहीं दिखा, पुलिस वालों ने अपने पुलिसकर्मियों की गलतियों पर पर्दा डालते हुए उनके नाम को एफआईआर से लेकर चालान पेश करने तक दूर रखा और 8 साल के इंतजार के बाद चालान पेश कर अपना एक झमेला दूर कर लिया पर वहीं पीड़ित को न्याय की लड़ाई में रसूखदार

नहीं लिया और अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया। अब चालान पेश हो गया है और बताया जाता है कि चालान को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे पुलिस ने पुलिस को बचाया क्योंकि जांच उनके ही पास थी अन्य कोई होता वह जेल जाता ही तय था बस पुलिस ने पुलिस को बचाया यह कहा जा सकता है और न्याय को केवल इसलिए हाशिर पर डाल दिया क्योंकि मामले में पुलिसकर्मी फंसते नजर आ रहे थे।

जात हो कि किसी भी अधिकारी के लिए उनके सारे कर्मचारी एक समान होते हैं पर किसी एक कर्मचारी को विशेष महत्व देना नहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है कुछ ऐसा ही मामला कोरिया जिले के पुलिस विभाग का है जहाँ पर एक प्रधान आरक्षक पर अधिकारियों का आशोर्वाद बरसता रहता है अब इसकी वजह चाहे जो भी हो, कोरिया के एक प्रधान आरक्षक हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं इनके खिलाफ शिकायतों का अंबार है पर जो भी अधिकारी आता है वह इस प्रधान आरक्षक का मुरीद हो जाता है ना जाने ऐसा कौन सा गुण है इनमें की जो यह बोल दे वही अधिकारियों को अच्छा लगता है और सही भी चाहे तरीका गलत क्यों ना हो, जबकि इस प्रधान आरक्षक को कोई भी ईमानदार अधिकारी पसंद नहीं करता या फिर यह कह जाय तो उसके विभाग के लोग भी इसे पसंद नहीं करते फिर भी अधिकारियों की चमचागिरी व पावलगी कर अधिकारियों के हितैसी बने रहना उसे खूब आता है।

क्या उच्च अधिकारियों की मनसा में ही नहीं था यह विचार की पुलिसकर्मियों के खिलाफ करनी है कार्यवाही ?

पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है की जब न्यायालय ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और उनके नाम से प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया था तब क्यों पुलिसकर्मियों का नाम जिन्हे दोषी माना गया था प्राथमिकी में शामिल नहीं किया गया। क्या पूरे मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों की मनसा ही नहीं थी की वह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जिन्के खिलाफ शिकायत थी वह कार्यवाही करें या उन्हे दंडित करें क्योंकि वह दोषी हैं। वैसे पुलिस विभाग में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जब जांच दूसरे की होती है वह जांच में काफी ईमानदार हो जाते हैं वहीं जब मामला पुलिस के ही कर्मियों के दोष से जुड़ा होता है वह उन्हे बचाने में लग जाते हैं। वैसे बैकुण्ठपुर के मामले में साफ है की पुलिस के उच्च अधिकारी दोषी पुलिसकर्मी को बचाने में अपनी पूरी निष्पक्षता ही हाशिर पर डाल दिए जिससे वह बच सकें।

उच्च अधिकारियों ने सिर्फ जांच में पुलिसकर्मियों को बचाने का काम किया ?

बैकुण्ठपुर के जिस मामले की बात आज यहां की जा रही है उसमें पीड़ित की मौत भी न्याय के इंतजार में हो चुकी है वहीं जिन पुलिसकर्मियों पर बिना आदेश जमीन पर जाकर कब्जा दिलाने का आरोप लगा था जिसे यह माना जा सकता है कि वह गुंडागर्दी का मामला था क्योंकि कब्जा दिलाने के लिए पुलिसकर्मियों को कोई निर्देश था नहीं था और वह दोषी एक तरह से साबित थे फिर भी उन्हे बचाने जांच के काफी लोपापोती उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किया गया। कुल मिलाकर दोषियों को इसलिए बचाया गया क्योंकि वह पुलिसकर्मी थे और वह भी ऐसे जिन्हे उच्च अधिकारियों का हमेशा संरक्षण मिलता रहा है और वह इसी तरह की मनमानी करते रहे हैं।

पुलिसकर्मीयों ने बिना कागज सत्यापन के क्यों गए थे वृद्ध महिला का कब्जा खाली करवाने ?

मामला जिसमें वृद्ध महिला से भूमि कब्जा खाली कराने पहुंचे थे पुलिसकर्मी बैकुण्ठपुर के उससे सबसे बड़ा सवाल यह है की बिना कागज सत्यापन के कैसे पहुंचे थे पुलिसकर्मी। क्या वह यह तय करने का इरादा ही नहीं रखते थे की की कागज उन्हे दिखाया जा रहा है वह सही है या नहीं है या फिर उन्हे कोई बड़ा लालच मिला हुआ था जिस वजह से वह बिना कागज सत्यापन ही पहुंचे थे कब्जा खाली करवाने। वैसे बात जो भी हो दोषी थे पुलिसकर्मी तभी न्यायालय ने उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने निर्देश दिया था पुलिस अधिकारियों को जो उन्हेोंने नहीं किया और पूरा लोपापोती करते हुए अपने विभाग के कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया।

अखिर प्रधान आरक्षक पर कब तक बरसती रहेगी कृपा ?

जिले के सबसे चर्चित प्रधान आरक्षक जिन्को कई बार शिकायतें भी हो चुकी हैं। सत्ता किसी की भी हो अधिकारी कोई भी हो उक्त प्रधान आरक्षक को जहां भी अपनी पदस्थापना लेनी होती है वह लेकर रहता है। विभागीय अधिकारी भी उक्त प्रधान आरक्षक के सामने नतमस्तक हैं और उसके पीछे किसका हथ है जो अधिकारी भी उसके सामने झुके हुए हैं बड़ा सवाल है। अब सवाल यह भी है की एक प्रधान आरक्षक पर कब तक कृपा बरसती रहेगी। बता दें की कोरिया जिले के जिस प्रधान आरक्षक की बात की जा रही है वह जुगाड लगाने में माहिर है और जिसकी भी सरकार हो वह अपना जुगाड लगा ही लेता है। अब देखा जा सकता है की भाजपा की सत्ता में भी वह जुगाड लगा पाता है या भाजपा इस बार उक्त प्रधान आरक्षक को तबज्जो नहीं देती है।

बैकुण्ठपुर याने में अपराध दर्ज फिर भी पदोन्नति व थाने जाने का देखते हैं सपना

जिले के जिस प्रधान आरक्षक की शिकायतों का अंबार है उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती? उसके ऊपर बैकुण्ठपुर कोटवली में ही अपराध भी दर्ज है। अपराध की जांच लगातार चल रही है क्योंकि पुलिस की जांच पुलिस कर रही है। मामले में प्रधान आरक्षक को बचाने में विभागीय अधिकारी भी उसकी मदद कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है की खुद के ऊपर अपराध दर्ज होने के बावजूद उक्त प्रधान आरक्षक को अपनी पदोन्नति की जात है जबकि अपराध दर्ज होने की स्थिति में पदोन्नति बाधित की जानी चाहिए। जहाँ अपराध दर्ज होने के बाद उन्हे पद से पृथक कर देना था वहां आज भी वह पद पर बने हुए हैं स्थिति यह है कि इनके एक ही जिले में रहने से पुलिस की कार्यप्रणाली भी कई मामलों में संदेह के घेरे में रहती है फिर भी उसके ऊपर मेहरबानी क्यों बरसती है यह बड़ा सवाल है अब जब सरकार बदली है सत्ता बदला है तो अब उम्मीद जगी है कि कार्यवाही भी होगी और जिले से इन्का बाहर स्थानांतरण भी होगा।

उच्च अधिकारियों तक शिकायत फिर भी आज तक कार्यवाही का इंतजार

प्रधान आरक्षक की कई बार शिकायत भी हो चुकी है। शिकायत के बावजूद कार्यवाही आज तक लंबित है। जिले में आने वाले हर अधिकारी को प्रधान आरक्षक अपनी गिरफ्त में ले लेता है और कार्यवाही से बच निकलता है। अब देखा यह है की जिले में कब कोई पुलिस अधिकारी उक्त प्रधान आरक्षक के संबंध में हुई शिकायत की जांच करता है और निष्पक्ष कार्यवाही करता है। वैसे अभी तक ऐसा कोई पुलिस अधिकारी सामने नहीं आया है और देखा है की अब कोई अधिकारी हिम्मत दिखाता है की नहीं।

प्रधान आरक्षक को अपने ही विभाग के कर्मचारी नहीं करते पसंद

कोरिया जिले के जिस प्रधान आरक्षक की बात की जा रही है उसे जिले के ही पुलिसकर्मी पसन्द नहीं करते। इसके पीछे का कारण यह माना जाता है की वह अपने ही विभाग के कर्मचारियों की शिकायत करता है वह भी झूठी और फिर उसी आधार पर वह अधिकारियों का खास बन जाता है। जिले में कई अच्छे प्रधान आरक्षक और पुलिस कर्मी उसकी वजह से कई बार अधिकारियों की प्रताड़ना का शिकार हो चुके हैं। वैसे प्रधान आरक्षक केवल यही काम भी करते हैं उनका काम अन्य पुलिसकर्मियों पर निगरानी रखना और अधिकारियों तक उनकी चुगली पहुंचाना ही है जिसकी वजह से उन्हे अन्य पुलिसकर्मी पसन्द नहीं करते।

प्रधान आरक्षक को संभांग से बाहर किया जाए इसकी मांग भी लगातार हो रही है...

कोरिया जिले के एक प्रधान आरक्षक को लेकर यह भी मांग होती रही है की उनका तबादला संभांग से बाहर की जाए तभी कई मामलों में उनकी सलिमता का खुलासा हो सकेगा। उनका तबादला होगा तभी कई मामले को उनके विरुद्ध है उसकी जांच हो पाएगी। ऐसा कुछ पुलिसकर्मी ही चाहते हैं वहीं कुछ उससे पीड़ित लोग भी चाहते हैं।

क्या प्रधान आरक्षक के रहने से आवैध कारोबारी को मिलता है संरक्षण ?

प्रधान आरक्षक अलैद्य कारोबारियों को भी संरक्षण देते हैं जिसको लेकर कुछ महीने पूर्व एक आडिओ भी वायरल हुआ था साथ ही थाने के सामने एक आरोपी के परिजनों से पैस भी लिया गया था जो थाना के सीसीटीवी में कैद हुआ था पर जांचा नहीं हुई, जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने उन्हे कुछ नहीं किया था। अलैद्य कारोबारी प्रधान आरक्षक से काफी संपर्क में रहते हैं और यही उन्हे विभाग में उनकी पहुंच का माध्यम बनाते हैं जैसा बताया जाता है। कुल मिलाकर प्रधान आरक्षक पुलिस विभाग की छवि खराब कर रहे हैं और कोरिया पुलिस पर से जनता का विश्वास कम करने का कारण बन रहे हैं। जिस भी मामले में इनका नाम आता है वह मामला खुद व खुद विवादित हो जाता है और मामले में निष्पक्षता समाप्त हो जाती है।

आडिओ में प्रधान आरक्षक किस गुंठे को भेज कर उठाने की कर रहे बात ?

अडिओ में अलैद्य कारोबारी का भी प्रधान आरक्षक के गुंठे में प्रस्ताव प्रस्ताव का अडिओ प्रस्तुत करके पुलिस अधीक्षक को भिजा देखा जाता है...

कोरिया जिले के एक प्रधान आरक्षक को लेकर यह भी मांग होती रही है की उनका तबादला संभांग से बाहर की जाए तभी कई मामलों में उनकी सलिमता का खुलासा हो सकेगा। उनका तबादला होगा तभी कई मामले को उनके विरुद्ध है उसकी जांच हो पाएगी। ऐसा कुछ पुलिसकर्मी ही चाहते हैं वहीं कुछ उससे पीड़ित लोग भी चाहते हैं।

प्रधान आरक्षक पर ब्याज के पैसे वाले मामले पर कब होगी कार्यवाही ?

कोरिया जिले के एक प्रधान आरक्षक को लेकर यह भी मांग होती रही है की उनका तबादला संभांग से बाहर की जाए तभी कई मामलों में उनकी सलिमता का खुलासा हो सकेगा। उनका तबादला होगा तभी कई मामले को उनके विरुद्ध है उसकी जांच हो पाएगी। ऐसा कुछ पुलिसकर्मी ही चाहते हैं वहीं कुछ उससे पीड़ित लोग भी चाहते हैं।

कोरिया के लगभग 320 पुलिसकर्मियों में से क्या एक प्रधान आरक्षक ही है सबसे योग्य...जिसके बिना पहुंचे किसी भी थाने में नहीं सुलझता कोई मामला ?

कोरिया जिले के एक प्रधान आरक्षक को लेकर यह भी मांग होती रही है की उनका तबादला संभांग से बाहर की जाए तभी कई मामलों में उनकी सलिमता का खुलासा हो सकेगा। उनका तबादला होगा तभी कई मामले को उनके विरुद्ध है उसकी जांच हो पाएगी। ऐसा कुछ पुलिसकर्मी ही चाहते हैं वहीं कुछ उससे पीड़ित लोग भी चाहते हैं।

क्या कोरिया जिले के एक पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक पर हो सकती है कार्यवाही ?

कोरिया जिले के एक प्रधान आरक्षक को लेकर यह भी मांग होती रही है की उनका तबादला संभांग से बाहर की जाए तभी कई मामलों में उनकी सलिमता का खुलासा हो सकेगा। उनका तबादला होगा तभी कई मामले को उनके विरुद्ध है उसकी जांच हो पाएगी। ऐसा कुछ पुलिसकर्मी ही चाहते हैं वहीं कुछ उससे पीड़ित लोग भी चाहते हैं।

क्या पटना थाने के सामने पैसे का लेनदेन करने वाले प्रधान आरक्षक की जांच के लिए थाने के सीसीटीवी की हो गई जांच ?

कोरिया जिले के एक प्रधान आरक्षक को लेकर यह भी मांग होती रही है की उनका तबादला संभांग से बाहर की जाए तभी कई मामलों में उनकी सलिमता का खुलासा हो सकेगा। उनका तबादला होगा तभी कई मामले को उनके विरुद्ध है उसकी जांच हो पाएगी। ऐसा कुछ पुलिसकर्मी ही चाहते हैं वहीं कुछ उससे पीड़ित लोग भी चाहते हैं।

क्या सरकार बदलते उन पुलिसकर्मियों पर होगी कार्यवाही जिन पर 2016 से मामला पंजीबद्ध है ?

कोरिया जिले के एक प्रधान आरक्षक को लेकर यह भी मांग होती रही है की उनका तबादला संभांग से बाहर की जाए तभी कई मामलों में उनकी सलिमता का खुलासा हो सकेगा। उनका तबादला होगा तभी कई मामले को उनके विरुद्ध है उसकी जांच हो पाएगी। ऐसा कुछ पुलिसकर्मी ही चाहते हैं वहीं कुछ उससे पीड़ित लोग भी चाहते हैं।

मामला पंजीकृत होने के बावजूद बिना जमानत व बिना विभागीय जांच के पुलिसकर्मी डटे हैं नौकरी में...यह है पूरा मामला

पुलिस पत्रकार पर या अन्य निर्दोषों पर बिना जांच के मामला पंजीबद्ध तो कर लेती है पर जब खुद इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध होने की बारी आती है तो घबरा जाते हैं फिर बचाव के लिए पूरे पैतरे अजमाने लगते है एक तो इनकी शिकायत हो भी जाए तो इन्ही के अधिकारी इन्हें बचाने लगते हैं जब की वह भी जानते है की उनका कर्मचारी गलत व दोषी है पुलिस के खिलाफ कितनी भी शिकायत हो जाए यही वजह है कि जांच तो उसी विभाग के अधिकारी को करना है जिस वजह से उन्हे हर बार बच निकलने में सफलियत होती है, इनके ऊपर तो कार्यवाही तब होती है जब कोई इनके पीछे पड़ जाए

उच्च स्तर पर या फिर न्यायालय की शरण ले तब जाकर उसे जीत हासिल हो पाती है पर जीत के आने के बाद ही फिर उसी विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाकर अपने चपल घिसने पहुंचते हैं फिर भी राहत नहीं मिलती कुछ ऐसा ही मामला है कुछ सालों पहले का है जहां पर एक व्यक्ति के प्रभाव में पुलिस वाले एक महिला का घर तोड़ने व कब्जा दिलाने के लिए चले जाते हैं उस महिला का शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध नहीं होता तब महिला को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है तब वहां पर उच्च न्यायालय मामले में संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध करने तो कहता है जिसके बाद 10 दिन के बाद उस

मामले में अपराध पंजीबद्ध होता है पर उस पंजीबद्ध एफआईआर में पुलिसकर्मियों का नाम नहीं होता, वर्ष 2016 में एक महिला की शिकायत पर पुलिसकर्मियों ने मामला पंजीबद्ध नहीं किया तब उसने उच्च न्यायालय शरण लिया लिया था जिसमें उच्च न्यायालय ने 29 नवम्बर 2016 को अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था, जिसमें नामजद अपराध पंजीबद्ध होना था पर पुलिस वाले ही जब अपराध पंजीबद्ध करते हैं तो अपने ही पुलिस वालों का नाम कैसे लिख सकते हैं बिना नाम के ही उन्हेने 9 दिसंबर 2016 को अपराध पंजीबद्ध किया,जिसमें उन्हेने पुलिसकर्मियों के नाम की जगह

अज्ञात लिख दिया पर सवाल यह है कि हार्दिकोट के आदेश में सभी के नाम दिए गए थे पर इसके बावजूद पुलिस ने नामजद अपराध दर्ज नहीं किया आ आज तक उन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुईं और ना ही वह पुलिसकर्मी ने जमानत लिया और ना ही विभागीय जांच ही सही से हो पाई, अब समझा जा सकता है कि पुलिसकर्मी यदि करें तो सब सही बाकी के ऊपर पुलिस टूट पड़ती है जबकि सविधान में साफ है कि पुलिसकर्मी भी यदि दोषी हैं तो उन पर भी अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए पर अक्सर खाकी खाकी की मदद ही करता है और बचने का पूरा प्रयास करता है।

छत्तीसगढ़ में विकास का सर्वस्पर्शी मॉडल

आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन

राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने अयोध्या स्थित भव्य मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की। राज्य में राजिम कुंभ (कल्प) का भव्य आयोजन पुनः शुरू कर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे वैश्विक पहचान दी है। इसी तरह धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में पांच शक्तिपीठों को विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 हजार किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। राज्य की रामायण



मंडलियों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के साथ बस्तर दशहरे को 50 लाख, चित्रकोट के लिए 10 लाख की जगह 25 लाख रुपये, रामाराम मेले के लिए 15 लाख रुपये तथा गोंगा पर्व के लिए 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को इसी बात से परखा जा सकता है कि सरकार के गठन के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहली कैबिनेट में विष्णु देव साय सरकार ने 18 लाख 12,743 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया। योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि का भी प्रावधान किया गया। वर्तमान में लगभग 15 लाख आवास के निर्माण को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विकास का सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी मॉडल देखने को मिल रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति

विष्णु देव साय सरकार एक ओर सुशासन की दिशा में नीतिगत कदम उठा रही है, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति को अमल में ला रही है। पूर्ववर्ती सरकार में हुए पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। साथ ही EWO द्वारा भी इस घोटाले में जांच की जाएगी है। कोयला और शराब घोटाले में भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस तरह सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास कर रही है।

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

सुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। पं.दीनदयाल उपाध्याय ने सुशासन को अंत्योदय का आधार बताया है। इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग नाम से एक नया विभाग गठित किया गया है। यह विभाग राज्य में चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन व संसाधनों का उत्कृष्ट प्रबंधन करेगा। सरकारी योजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा के लिए सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किया गया।

अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का अंत्योदय

पं.दीनदयाल उपाध्याय ने सुशासन को अंत्योदय का आधार बताया है। इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग नाम से एक नया विभाग गठित किया गया है। यह विभाग राज्य में चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन व संसाधनों का उत्कृष्ट प्रबंधन करेगा। सरकारी योजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा के लिए सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किया गया।

विकास के 10 स्तंभों की संकल्पना

विष्णु देव साय सरकार ने अपने पहले बजट में छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक ले जाने का रोडमैप प्रस्तुत किया है। 1 नवंबर 2024 को राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर सरकार के विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करेगी। इसमें 2047 तक छत्तीसगढ़ की तरक्की की कार्ययोजना का विस्तृत वर्णन होगा। राज्य सरकार ने बजट में प्रदेश के अर्थतंत्र को गति देने के दस स्तंभ चिह्नित किए हैं।

अर्थतंत्र को गति देने के दस स्तंभ

- 1 ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था
- 2 तकनीक आधारित सुधार व सुशासन
- 3 आधिकारिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाना
- 4 प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन
- 5 सेवा क्षेत्र को बढ़ावा
- 6 निजी निवेश
- 7 बस्तर-सर्गुजा की ओर देखो नीति
- 8 डिस्टेंडलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स का विकास
- 9 छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रोत्साहन
- 10 योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन

विष्णु देव सरकार... 13 दिसंबर को ली शपथ और छत्तीसगढ़ में चल पड़ा विकास का सिलसिला



13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में खुशियों का नया सूर्योदय हुआ। राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट के शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश में विकास का सिलसिला चल पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णयों से विष्णुदेव साय सरकार ने सुशासन को नया आयाम दिया है। किसान, युवा, महिला, गरीब, आदिवासी सहित सभी तबकों तक विकास की बयार पहुंच रही है।

मोदी की गारंटी
सुशासन के तीन माह

युवा हितैषी सरकार

प्रदेश के युवाओं को शासकीय भर्तियों में निष्पक्ष और पारदर्शिता से युक्त परीक्षा का वातावरण मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इससे भर्ती परीक्षाओं में न सिर्फ युवाओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि परिश्रम से वह अपने सपनों की उड़ान को पूरी कर सकेंगे। सरकार के गठन के पहले महीने में ही विष्णु देव साय सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर तथा अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।



आतंकवाद, नक्सलवाद और चरमपंथ पर ठोस प्रहार

छत्तीसगढ़ सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद और चरमपंथ को समूल नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर स्टेट इनवैस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जा रहा है। यह एजेंसी आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवादी मामलों की प्रभावी और त्वरित जांच करेगी। इसके लिए एसआईए एनआईए के साथ समन्वय स्थापित करने वाली राज्य की नोडल एजेंसी होगी। नक्सल प्रभावित गांव के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को नियुक्त नेल्लानार योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए सुदूर नक्सल प्रभावित गांव में 24 योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित गांव में पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं। सुकमा के पूर्व तट क्षेत्र पर यह पुलिस कैंप कानून व्यवस्था को मजबूती देने के साथ सुशासन के प्रकल्प बनकर उभरे हैं।

भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब राज्य की नवनिर्वाचित सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का पहला डिजिटल बजट पेश किया। इससे शासन एवं प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल अनुप्रयोग के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे।

राज्य में कोयले के परिवहन हेतु परमिट और स्वीकृति व्यवस्था मैन्युअल होने से पूर्व की सरकार के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। ऐसे में विष्णु देव साय सरकार ने तत्काल इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मिसाल पेश की है। प्रदेश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए

भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपये, पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपये, एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये और अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

विगत 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में 'महतारी वंदन योजना' की पहले किश्त राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने माता-बहनों को शुभकामनाएं दीं।



'महतारी वंदन' योजना से हो रहा महिला सशक्तिकरण



महिला सशक्तिकरण विष्णु देव साय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के इतिहास में 12 मार्च 2024 की तारीख महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 1,000 रुपये की पहली किश्त जारी की गई। विष्णु देव साय सरकार हर साल 12 हजार रुपये महिलाओं के खाते में जमा करेगी। भ्रष्टाचार के बिना हितग्राहियों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ डीबीटी का सबसे बेहतरीन उपयोग करने वाला राज्य बन चुका है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंगविभेद, असमानता खत्म करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। विवाहित महिला के साथ ही विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है।

महतारी वंदन हेल्पलाइन- 0771-2220006 / 0771-6637711

किसानों के चेहरे पर खुशी... छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य

छत्तीसगढ़ में धान की फसल यहां के किसानों के लिए तरक्की का आधार है। विष्णु देव साय सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी की मोदी की गारंटी को पूरा कर देश में किसानों को धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य देने का कीर्तिमान रच दिया है। किसानों के खाते में सीधे नगद लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए पैसा भेजा जा रहा है। खरीफ सीजन 2023 में किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ (3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से) 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। इस तरह छत्तीसगढ़



ने देश में धान की खरीदी का रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में 13 लाख किसानों के खाते में धान के दो वर्ष के बकाया बोनेस के रूप में 3,716 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कृषक उन्नति योजना के जरिए किसानों को धान

खरीदी की अंतर राशि 13,320 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। 24.72 लाख से अधिक किसान विष्णु देव साय सरकार की योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

"अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047"

विजन डॉक्यूमेंट में राज्य हेतु संभावित विकास क्षेत्रों जैसे कि ईन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा व कौशल विकास, Gyan आधारित विकास, निवेश को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनों का प्रभावी उपयोग, रिन्यूएबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री विकास, प्रभावी फिस्कल व टेक्स पॉलिसी व तकनीक का उपयोग, छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, फूड प्रोसेसिंग मिलेट्स, टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य व पोषण, जनजाति विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास हेतु रणनीति व कार्ययोजना का समावेश होगा। जिसके आधार पर संबंधित विभाग अपने-अपने सेक्टर में अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
- डिग्री हासिल करने वाले 246 एमबीबीएस एवं 21 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति दे दी गई है। इनमें से पचास फीसदी की नियुक्ति बस्तर एवं सर्गुजा संभाग के लिए की गई है।
- स्वास्थ्य विभाग में 5 हजार से ज्यादा पदों पर पीएससी और व्यापम के जरिए भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
- एमबीबीएस एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर नियुक्ति देने की घोषणा की गई है।
- कोल परिवहन के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली - खनिज संसाधन से संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य में कोल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली लागू की गई है।
- नियुक्त नेल्लानार योजना (बस्तर के लिए) बस्तर संभाग के नक्सल पीड़ित क्षेत्र में स्थापित 14 नये कैंपों में नवाचार के रूप में इसके आसपास के 5 ग्रामों की मूलभूत आवश्यकता की दृष्टि से अधोसंरचना विकास एवं परिवारों के सम्यक विकास की कार्यवाही की जाएगी।
- कॉलेज के विद्यार्थियों को 6000 रुपए सालाना टैवल एलाउंस अगले शिक्षा सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को 6000 रुपए सालाना टैवल एलाउंस मिलेगा।
- संस्कृत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का निर्णय शासकीय दूधधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का संकल्प।
- आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी की तर्ज पर जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में इसी सत्र से प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी।
- 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी अगले शिक्षा सत्र में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- सभी जिला मुख्यालयों में एम्स की तर्ज पर उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों की स्थापना का निर्णय।